

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 275
No. 365]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939	[N.C.T.D. No. 275

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(जी. एस. टी. - नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017

सं. 04/2017-राज्य कर

(अधिसूचना संख्या 35/2017 भारत सरकार के सन्दर्भ में)

सं.फा. 02(3)/नीति-जी.एस.टी./2017/870-81.—दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5), के साथ पठित अधिसूचना दिनांक 11.08.2017 एवं अधिसूचना संख्या 22/2017 दिनांक 22.08.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवम दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 37 की उप-धारा (1) का तृतीय प्रोविंसो, धारा 38 की उप-धारा (2) का द्वितीय प्रोविंसो एवम धारा 39 की उप-धारा (6) का प्रोविंसो, जोकि यथोचित परिवर्तनों सहित लागू है, मैं, एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त, राज्य कर (दिल्ली) यह विनिर्दिष्ट करता हूँ कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप-जीएसटीआर-3ख में इलैक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्:--

सारणी

क्रम सं.	मास	जीएसटीआर-3ख फाइल किए जाने की अंतिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017
2	सितंबर, 2017	20 अक्टूबर, 2017

3	अक्टूबर, 2017	20 नवम्बर, 2017
4	नवम्बर, 2017	20 दिसंबर, 2017
5	दिसंबर, 2017	20 जनवरी, 2018

2. प्रारूप जी.एस.टी.आर.-3 ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करें का संदाय.—प्रारूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन सन्देश किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा दी गई अंतिम तारीख जिस तक उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, से पूर्व यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही के नामे खाते डालकर करेगा।

एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त, राज्य कर (दिल्ली)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(GST-POLICY BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 29th September, 2017

No. 04 /2017-State Tax

(Reference notification no. 35/2017 of GOI)

No. F. 2(3)/Policy-GST/2017/870-81.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 61 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, read with notification dated 11.08.2017 and notification no. 22/2017-State Tax, dated 22.08.2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal on or before the last dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Month	Last Date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	August, 2017	20 th September, 2017
2.	September, 2017	20 th October, 2017
3.	October, 2017	20 th November, 2017
4.	November, 2017	20 th December, 2017
5.	December, 2017	20 th January, 2018

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as detailed in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

H. RAJESH PRASAD, Commissioner, State Tax (Delhi)